

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 85

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 2 दिसंबर, 2024

11 अग्रहायण, 1946 (शक)

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक

*85. डॉ. कडियम काव्य:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएसआर) अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों का ब्यौरा क्या है ;
- (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर आवंटित और खर्च की गई राशि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र- वार ब्यौरा क्या है ;
- (ग) क्या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों की सूची नियमित रूप से अद्यतन की जाती है और सरकार का इन स्थलों के परिरक्षण, संरक्षण और विकास के लिए राज्य सूची में, विशेष रूप से तेलंगाना राज्य से स्मारकों को शामिल करने प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 02.12.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 85 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

(क): देश में 3697 प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित हैं। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के लिए आवंटित और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) और (घ): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों की सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

वर्ष 2014 में सरकार के प्रधान सचिव (पर्यटन और संस्कृति), युवा विकास पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, तेलंगाना सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से 04 राज्य अधिसूचित संरक्षित स्मारकों तथा 24 असंरक्षित स्मारकों को संरक्षित करने का अनुरोध किया था। तथापि, वर्ष 2019 में निदेशक, तेलंगाना धरोहर विभाग, तेलंगाना सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उक्त प्रस्ताव को वापस लेने के बारे में सूचित किया।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 02.12.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *85 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

देश में संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों की राज्यवार संख्या ।

क्रम सं .	राज्य का नाम	संरक्षित स्मारक/क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	135
2.	अरुणाचल प्रदेश	03
3.	असम	55
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	46
6.	दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	11
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	205
9.	हरियाणा	91
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	56
12.	झारखंड	१३
13.	कर्नाटक	506
14.	केरल	29
15.	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	15
16.	मध्य प्रदेश	291
17.	महाराष्ट्र	286
18.	मणिपुर	01
19.	मेघालय	08
20.	मिजोरम	01
21.	नागालैंड	04
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	173
23.	ओडिशा	81
24.	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	07
25.	पंजाब	33
26.	राजस्थान	163
27.	सिक्किम	03
28.	तेलंगाना	08
29.	तमिलनाडु	412
30.	त्रिपुरा	08
31.	उत्तर प्रदेश	743
32.	उत्तराखंड	44
33.	पश्चिम बंगाल	135
	कुल	3697

लोक सभा में दिनांक 02.12.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *85 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान संरक्षित स्मारकों/क्षेत्रों के संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरण विकास के लिए आवंटन और किए गए व्यय का ब्यौरा।

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंडल / शाखा	2021-22		2022-23		2023-24	
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	अमरावती	5.75	5.75	11.60	11.60	14.70	14.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी	3.30	3.30	7.44	7.44	8.78	8.78
	असम							
	मेघालय							
	नागालैंड							
3.	बिहार	पटना	3.35	3.35	9.00	9.00	16.00	16.00
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर	4.78	4.78	7.50	7.50	5.94	5.94
5.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र), गुजरात	वडोदरा	8.00	8.00	11.00	11.00	12.00	12.00
	गुजरात	राजकोट	2.50	2.50	3.09	3.09	2.50	2.50
6.	गोवा	गोवा	7.00	7.00	10.45	10.45	9.90	9.90
7.	हरियाणा	चंडीगढ़	1.50	1.50	6.53	6.53	11.00	11.00
	पंजाब							
8.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.15	1.15	8.90	8.90	5.00	5.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	श्रीनगर	2.55	2.55	6.11	6.03	7.17	7.17
10.	झारखंड	रांची	1.18	1.16	2.00	2.00	2.15	2.15
11.	कर्नाटक	बैंगलोर	9.75	9.75	19.85	19.85	17.34	17.34
		हम्पी	8.00	8.00	10.00	10.00	12.25	12.25
		धारवाड़	7.32	7.32	10.08	10.08	9.57	9.57
12.	केरल	त्रिशूर	6.82	6.82	7.50	7.50	7.09	7.09
13.	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	लघु मंडल लेह	0.43	0.43	1.92	1.92	3.50	3.50
14.	मध्य प्रदेश	भोपाल	11.50	11.50	14.90	14.90	17.22	17.22
		जबलपुर	4.75	4.75	8.00	8.00	9.27	9.27
15.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	8.00	7.99	18.70	18.70	26.80	26.80
		मुंबई	12.00	12.00	15.35	15.35	15.56	15.56
		नागपुर	4.50	4.50	5.00	4.99	10.18	10.18
16.	मणिपुर	आइजोल	1.25	1.25	2.00	2.00	1.29	1.29
	मिजोरम							
	त्रिपुरा							
17.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	19.10	19.08	30.50	30.35	36.14	36.14
18.	ओडिशा	भुवनेश्वर	8.23	8.23	13.18	13.17	12.29	12.29
19.	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	चेन्नई	8.00	8.00	11.45	11.45	12.95	12.95
	तमिलनाडु, तमिलनाडु	त्रिची	4.00	4.0	8.50	8.50	9.55	9.55
20.	राजस्थान	जयपुर	7.53	7.53	10.28	10.28	12.75	12.75
		जोधपुर	4.50	4.50	7.65	7.65	10.65	10.65
21.	सिक्किम, पश्चिम बंगाल	रायगंज	5.00	5.00	7.00	7.00	8.00	8.00
	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	7.67	7.57	10.16	10.16	9.10	9.10
22.	तेलंगाना	हैदराबाद	7.00	6.80	15.50	15.50	14.38	14.38
23.	उत्तर प्रदेश	आगरा	19.35	19.35	21.27	21.15	23.52	23.52
		झांसी	4.15	4.15	7.00	7.00	5.82	5.82
		लखनऊ	10.44	10.44	19.03	19.03	16.93	16.93
		सारनाथ	5.50	5.50	10.15	10.15	11.32	11.32
		मेरठ	2.80	2.80	6.20	6.20	7.95	7.95
24.	उत्तराखंड	देहरादून	3.75	3.75	4.85	4.85	5.42	5.42
		रासायनिक संरक्षण	6.51	6.48	9.91	9.89	8.36	8.36
		बागवानी गतिविधि (अखिल भारतीय)	19.33	19.32	--	--	--	--
		महानिदेशक कार्यालय	11.74	11.73	3.15	2.77	13.19	13.19
		कुल	270.00	269.57	392.71	391.93	443.53	443.53
